न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/100/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025/249

प्रवेश तिथि :: 18.06.2025

अपीलार्थी

डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी
नि0 माँ बाला सती एसोसिएट्स, रावत शॉपिंग मॉल,
बाल मन्दिर स्कूल के पा, दूगड़ विद्यालय रोड, मुख्य बाजार,
सरदार शहर, जिला–चूरू (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29.07.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने RTI Online Portal पर इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **आवेदन सं. 293182923275074 दिनांक: 11.05.2025** प्रस्तुत कर, "श्री देवेन्द्र कटारिया, मैसर्स बिहारीराम सेवाराम पेट्रोल पंप, बस स्टैण्ड, अलवर पुश्तैनी मकान जांगिड धर्मशाला के पास, लोहिया पाडी, अलवर स्थित जर्जर भवन मं सहकारिता विभा द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने, भवन रिक्त करवाने हेतु विविध मंत्रियों, संगठनों एवं अन्य द्वारा प्रेषित प्रा0पत्रों/पत्राचारों का विवरण, संस्थित की गई कार्यवाही स्वरूप विविध 03 बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा RTI Online Portal पर पत्र सं. 1577625307 दिनांक: 12.05.2025 के माध्यम से किए गए **विनिश्चय के विरूद्ध** हस्तगत अपील, अपीलार्थी द्वारा संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/993–94 दिनांक: 04.07.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी प्रकरण में अपीलार्थी के संगठन, विविध माननीय मंत्रीगणों द्वारा प्रेषित प्रा0पत्र की विशिष्टीकृत तिथि, पत्र सं. आदि के अंकन का अभाव है, संदर्भित कार्यवाही होने/नहीं होनें के क्रम में नियमों के परिप्रेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण स्वरूप सूचना चाही गई है, साथ ही सूचना खोजबीन/सृजनात्मक/विश्लेषणात्मक प्रकृति की है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों मय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आलोक में अदेय है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है, **अपील अस्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 29.07.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)